फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

भींयाराम बनाम बच्छराज

किस्म मुकदमा 225 आरटीए **नम्बर 34 / 2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.7.18	अभिभाषक अपीलांट श्री रामचन्द्र सिंह भाटी व केवियटकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की तरफ से श्री रणजीत सिंह निर्वाण उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। अभिभाषक उभय पक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 06–07–2018 को पेश हो।	
06.7.18	विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स के नाम तहसील कोलायत के ग्राम झझू के खसरा नम्बर 906 में 7.1090 हेक्टर, खसरा नम्बर 914 में 0.5800 हेक्टर, खसरा नम्बर 1195 में 3.7900 हेक्टर कुल 15.52 हेक्टर खातेदारी भूमि स्थित है। जिस पर अपीलांट्स का शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट्स की उपरोक्त खातेदारी भूमि से रेस्पोडेन्ट्स का कोई लेना–देना नहीं है। फिर भी रेस्पोडेन्ट्स अपीलांट्स की खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त करने व बेजा दखलदाजी कर रहे है। जिस बाबत् एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 06–07–2011 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त आदेश की अपील रेस्पोडेन्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पातिर करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट्स कभी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	

Scanned by CamScanner

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 28–05–2018 को कैम्प झझू में एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि को जो आज दिनांक तक बढ़ाई गई है को निरस्त किया गया है। जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व है क्योंकि माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अदालत मातहत को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि वे दानों पक्षों को सुनवाई के पश्चात् विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवमानना की गई है।

अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश जो कि एकतरफा तौर पर पारित किया गया है की आड़ में यदि अपीलांट्स को वादगत् भूमि से बेदखल किया गया या अपीलांट्स की कब्जेशुदा भूमि में दखलंदाजी की गई तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि तहसील कोलायत के ग्राम झझू के खसरा नम्बर 906 में 7.1090 हेक्टर, खसरा नम्बर 914 में 0.5800 हेक्टर, खसरा नम्बर 1195 में 3.7900 हेक्टर कुल 15.52 हेक्टर के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 28–05–2018 के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। जोकि एक अंतरिम आदेश की श्रेणी का आदेश है। जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं की जा सकती।

उन्होंने आगे बताया कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12–08–2011 को इस निर्देश के साथ प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थन पत्र का निस्तारण करें। अपीलांट् द्वारा उक्त आदेश के विपरीत न्यायालय को गुमराह करते हुए पुनः पूर्व प्रसारित आदेश की अवधि बढ़वाई जाती रही है। जबकि पूर्व प्रसारित आदेश न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त फरमा दिया गया था।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

अदालत मातहत के समक्ष उक्त तथ्य प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा अपनी गलती को सुधार करते हुए पूर्व प्रसारित अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढ़ाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 28–07–2018 नियत है। यदि अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार व्यथित है तो दिनांक 28–7–2018 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः अपीलांट्स का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12–08–2011 को अपील में यह निर्देश प्रदान करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उक्त आदेश के अनुसरण में दोनों पक्षों को न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त किया जाना चाहिए था।

इस संबंध में हमने अदालत मातहत की आदेशिका का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 28–05–2018 को रेस्पेडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र कैम्प झझू में एकतरफा तौर पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि जो आज तक बढ़ाई गई है को निरस्त किया गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब न्यायालय हाजा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करें। ऐसी स्थिति में एकतरफा तौर पर किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता।

चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष सुनवाई व तलबी हेतु दिनांक 28–07–2018 नियत है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष दिनांक 28–07–2018 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय को इस आदेश के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में नियत आगामी दिनांक को आवश्यक रूप से दोनों पक्षों को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तब तक वादगत् भूमि पर किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा कब्जे काश्त में दखलंदाजी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
[redacted] अपील अधिकारी
[redacted]

Scanned by CamScanner